–::: आदेश :::–

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्तुति पर श्री मनोज कुमार बाजपेई पुत्रश्री रामशंकर बाजपेई की नियुक्ति राजकीयचर्म संस्थान, आगरा में ज्येष्ठ इंस्ट्रक्टर लेदर गुड्स मैन्यूफेक्चरर वेतनमान 5000–8000 के रिक्त पद पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई एवं भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है। श्री मनोज कुमार बाजेई की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है तथा इनकी सेवायें किसी भी समय किसी पक्ष द्वारा शासनादेश संख्या– 20/1/74– नियुक्ति–3, दिनांक– 11 जून,75 के अनुसार एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है:–

उपरोक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

1– सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ ।

2– दो राजपत्रित अधिकारियों जो उनके सम्बन्धी न हों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र ।

3– केवल एक पत्नी जीवित होने का प्रमाण–पत्र ।

4– मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र ।

5– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण–पत्र ।

6– अनुभव प्रमाण–पत्र ।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ मुख्यालय एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को प्रेषित की जाये, यदि नियुक्त अभ्यर्थी दिनांक– 16/10/2000 तक नियुक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होते है, तो उक्त तिथि के पश्चात् उनके नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझे जायेंगे । पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

(उषा बिरजी)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश ।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश ।

सं0: 22/81-86 /ई- अरे0/जी0एल0आई0कानपुर/आगरा कानपुरः दिनांक– 23-9- ,2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, गाजियाबाद ।

2– प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान,आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वे श्री बाजपेई द्वारा कार्यभार ग्रहण की सूचना एवं इनके उपरोक्त प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ नियुक्त अभ्यर्थी की फोटो भी संस्था प्रधानाचार्य स्वयं प्रमाणित कर निदेशालय एवं क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को उक्त तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

पंजीकृत 3– श्री मनोज कुमार बाजपेई,पुत्र श्री रामशंकर बाजपेई म0न0 392/डी परदेवनपुर, हरजिन्दरनगर, कानुपर + 208007.

4– प्रकरण सहायक श्रीमती रेनू एब्रोल/श्रीमती शकुन्तला मिश्रा ।

5– श्री बी0के0 सिंह, संयुक्त सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके गोपनीय पंजीकृत पत्रांक– 184/4/एस–7/डी0आर0/99–2000 दि0–07/09/2000 के सन्दर्भ में प्रेषित।

(दिनेश कुमार)
प्रधानाचार्य(मु0) प्राविधिक शिक्षा,
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश ।

अरुन//